

आखिरी जांच: 25 सितंबर 2026

Birsa Munda Krishi Kranti Yojana

अनुसूचित जनजाति के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा और खेती से ज़्यादा आय के लिए मदद। नए कुएं, कुएं की मरम्मत, खेत तालाब के अस्तर, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान मिलता है।

क्या मिल सकता है

इनमें से सिर्फ एक: नया कुआं 2,50,000 रुपये, पुराने कुएं की मरम्मत 50,000 रुपये, या खेत तालाब में प्लास्टिक अस्तर 1,00,000 रुपये। अतिरिक्त घटक: बिजली कनेक्शन 10,000 रुपये, ड्रिप सिंचाई 50,000 रुपये या स्प्रिंकलर 25,000 रुपये, पंप सेट 20,000 रुपये, PVC पाइप 30,000 रुपये।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति के किसान, जिनके पास खेती की ज़मीन है और जो ज़मीन और आय की सीमा में आते हैं।

मुख्य शर्तें

- जाति प्रमाणपत्र वाले अनुसूचित जनजाति के किसान।
- अपनी ज़मीन: नए कुएं के लिए कम से कम 0.40 हेक्टेयर, बाकी घटकों के लिए कम से कम 0.20 हेक्टेयर, अधिकतम 6 हेक्टेयर।
- जिला योजना पृष्ठ के अनुसार सालाना आय 1,50,000 रुपये तक।
- अपने नाम का आधार से जुड़ा बैंक खाता।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- किसान के नाम का 7/12 और 8-अ उतारा
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी
- तहसीलदार से ताज़ा आय प्रमाण
- ग्राम सभा की सिफारिश

आवेदन कैसे करें

- MahaDBT पोर्टल पर पंजीकरण करें और किसान योजनाएं विकल्प चुनें।
- यह योजना और अपना एक घटक चुनें, फिर दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन में मदद के लिए अपनी पंचायत समिति के कृषि अधिकारी से भी मिल सकते हैं।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: <https://zpthane.maharashtra.gov.in/en/scheme/birsa-munda-agricultural-revolution-scheme/>

आधिकारिक आवेदन: <https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/RegistrationLogin/RegistrationLogin>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-birsa-munda-krishi-kranti/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।